स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 4/2015-एसडीआर खण्ड-I दिनांकः- 8 दिसम्बर, 2015

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं तेलंगाना।

विषयः- परिषदीय निर्वाचनों में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना- तत्संबंधी।

महोदय,

आयोग के दिनांक 13फरवरी, 2013 के पत्र सं. 322/आ.प्र.-वि.प./2013-सी सी एवं बी ई की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। आयोग ने दिनांक 13 फरवरी, 2013 के उक्त पत्र में निहित अनुदेशों की समीक्षा की है और यह उल्लेख किया जाता है कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 20, निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र की सुविधा केवल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचनों के लिए ही परिसीमित करता है। इस विधिक स्थिति को ध्यान में रखकर यह स्पष्ट किया जाता है कि परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र (ईडीसी) लागू नहीं होगा और यदि कोई निर्वाचक निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात होने के कारण अपने मतदान केन्द्र पर व्यक्तिगत तौर पर मतदान करने में असमर्थ है तो उन्हें डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने का हक प्राप्त होगा।

इसे सभी आगामी निर्वाचनों में अनुपालन के लिए, विधान परिषद के निर्वाचनों के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए। राज्यों में आधारित राजनीतिक दलों को भी सूचित किया जाए।

कृपया पावती दें।

भवदीय,

ह./-
(एन. टी. बुटिया)
अवर सचिव